RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-03
March-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

छोटानागपुर में कम्पनी शासन के विरूद्ध विद्रोह

डॉ0 राजीव कुमार

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह द्वारा कम्पनी की अधीनता स्वीकार किये जाने के बाद उसे खिल्लत द्वारा सम्मानित किया गया। उसने घटों की सुरक्षा तथा मराठों संबंधी आवश्यक सूचना देते रहने का आश्वासन दिया। किन्तु तत्काल बाद नागवंशी राज्य में नानाशाह प्रकरण से चिंता व्याप्त हो गयी। कप्तान कार्टर नानाशाह नामक व्यक्ति को नागवंशी गद्दी पर बैठाने के निमित्त ला रहा था। दर्पनाथ द्वारा बार–बार लिखने पर भी कैमक इसे अफवाह मात्र समझ रहा था। तभी कैमक को कार्टर का पत्र मिला कि सरकार ने उसे रामगढ़ तक जानेवाली एक नई सड़क के सर्वेक्षण के लिए भेजा था। दूसरी ओर दर्पनाथ ने लिखा कि नानाशाह ने नागपुर राजा के विरूद्ध धारणा कर लिया था। रामगढ़ राजा तथा स्वयं नागवंशी राज्य के कई असंतुष्ट राजाओं ने उसे मान्यता दे दी थी और कप्तान कार्टर सिपाहियों की कई कम्पनियों के साथ छोटानागपुर की ओर बढ़ रहा था। 24 जनवरी, 1772 ई. को कैमक को दर्पनाथ का इस आशय का एक और पत्र मिला कि नानाशाह के लोगों ने उसके इलाके पर हमला कर दिया था और स्वयं उसने अपने–आप को छोटानागपुर का शासक घोषित कर दिया था। कैमक इस खबर को अभी भी मिथ्या मानता था, किन्तु अगले ही दिन उसे कार्टर एक पत्र दिया जिसमें लिखा गया था कि वह छोटानागपुर के वास्तविक वंशानुगत राजा को अपने साथ ला रहा था। कार्टर के इस पत्र के साथ 'महाराजा उमराव शाहदेव' की एक अर्जी संलग्न थी कि वह अपने 'नागपुर' में पहुँच गया था और यदि कैमक सरकार के संतोष लायक कर प्राप्त करना चाहता था तो वह उसे एक 'पान' भेजे। कैमक ने उत्तर दिया कि क्योंकि दर्पनाथ ने सरकार से कर–निर्धारण करवाया था, वह इसे बदलने में सक्षम नहीं था। उसने यह भी लिखा कि दर्पनाथ तथा सीमाओं की रक्षा करना उसका कर्त्तव्य था अतः वह किसी को गड़बड़ी फैलाने से रोक सकता था। उसने कार्टर को भी इस आशय का पत्र लिखा। पटना काउंसिल ने भी कार्टर को लिखा कि नानाशाह के लाये जाने के कारण राजस्व–वसूली, रामगढ़ राजा से विचार–विमर्श और कम्पनी के हितों में बाधा पड़ सकती थी। उसे कहा गया कि नानाशाह को कैमक के मार्फत पटना भेज दिया जाये जहाँ उसके दावे पर विचार किया जा सकेगा। किन्तु नानाशाह पलामू की दक्षिण–पश्चिमी सीमा से लगे नागवंशी इलाकों में गड़बड़ी करता रहा। कैमक ने इसके छोटानागपुर–खास में घुसने तथा अन्य असंतुष्टों के उससे मिल जाने से पहले ही उसे दबा देना आवश्यक समझा। इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका था, वहीं जा पहुँचना जहाँ नानाशाह कार्टर के साथ जमा हुआ था। यह जगह रामगढ़ राज्य की सीमा पर थी और कैमक समझता था कि वहाँ जाने से उसे रामगढ़ राजा को भी दबाने में सुविधा होगी। कैमक 3 फरवरी, 1772 ई. को वहाँ पहुँच गया और पाया कि नानाशाह तीन दिन पहले ही पंचेत की ओर जा चुका था। रामगढ़ राजा की प्रेरणा पर दर्पनाथ–विरोधी 3000 लोग भी उसके साथ हो लिये थे। कैमक ने निष्कर्ष निकाला कि कार्टर अनजाने ही इस प्रकरण में उलझ गया था और नाना शाह द्वारा फैलायी गयी गड़बड़ी के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। वस्तुतः राजा मुकुन्द सिंह और नानाशाह ने उसे बहुत परेशान कर रखा था।

दर्पनाथ शाह की कठिनाइयाँ मराठा आक्रमणों के कारण और भी बढ़ गईं। ये आक्रमण 9 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः शुरू हुए थे। 15 जुलाई, 1772 ई. को कैमक को पटना में सूचना मिली कि मराठों का एक दल छोटानागपुर में घुस आया था जिसके फलस्वरूप नागवंशी राजा के अधीनस्थ टोरी के राजा ने, विद्रोह कर दिया था। उसने दर्पनाथ शाह के आदमियों तथा कैमक के दो सिपाहियों को मार भगाया था। ये लोग उससे बकाया राजस्व की वसूली करने लगे थे। 1200 मराठा घुड़सवार और प्रायः 4000 लुटेरे घाटों को पार कर छोटानागपुर में प्रविष्ट हो गये थे। उन्होंने दर्पनाथ को संभलने तक का मौका नहीं दिया। कई लड़ाइयों के बाद मराठे और आगे बढ़ आये थे और दर्पनाथ ने अपने–आप को पालकोट में छिपा लिया था। मराठे उसे उनसे मिल जाने, राजस्व देने और सैनिक छावनी बनाने देने की माँग कर रहे थे। इसके बाद उनका एक और बड़ा दल आया और टोरी राजा को अपना परिवार रामगढ़ भेज देना पड़ा। रामगढ़ राजा मुकुन्द सिंह मराठों से मिला हुआ था और वे संभवतः उसी के निमंत्रण पर आये थे। कैमक मराठों का रोका जाना अत्यावश्यक समझता था। उसे अनुसार दर्पनाथ पर्याप्त सहायता की आवश्यकता थी, जिसके बिना वह अपने राज्य में उन घाटों की रक्षा नहीं कर सकता था जो दक्षिण भारत में बंगाल जाने के मार्ग पर पड़ते थे। उसे सहायता देने से मुकुन्द सिंह भी मराठों का संग छोड़ सकता था। दर्पनाथ को तत्काल सहायता और स्वयं कैमक के सैनिकों में वृद्धि इसलिए भी जरूरी थी कि अधिकांश सिपाही या तो बीमार थे या काम के बोझ से दबे हुए थे। 20 जुलाई,

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

1772 ई. को पटना काउंसिल ने दर्पनाथ को सहायता देने का निर्णय लिया। कैमक को तत्काल छोटानागपुर पहुँचने को कहा गया। उसे यह भी बताने को कहा गया कि छोटानागपुर की रक्षा तथा मराठों को रोकने के लिए उसे कितनी सहायता की आवश्यकता थी। कैमक ने 26 जुलाई को पटना काउंसिल को सूचित किया कि वह यथाशीघ्र अपनी टुकड़ी की कमान संभालने वाला था। किन्तु पिछली बीमारी के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया था और सिपाहियों की अतिरिक्त पांच–छः कंपनियों की सहायता बिना उसे मराठों के विरूद्ध सफलता की विशेष आशा नहीं थी। पर्याप्त सहायता मिलने पर ही वह मराठों तथा असंतुष्ट जमींदारों को दबा सकता था। अतः 27 जुलाई को पटना काउंसिल ने कर्नल अलक्जेंडर चैंपियन से आग्रह किया कि वह कैमक की सहायता के लिए सिपाहियों की 4 कंपनियाँ भेजे। 28 जुलाई को चैंपियन ने यथाशीघ्र सहायता भेजने का वचन दिया। किन्तु दानापुर से भेजी गयी 4 कंपनियों को 15 दिनों के भीतर ही वापस बुला लिया गया और उनकी जगह पर मुंगेर से दूसरे बिग्रेड के सिपाहियों को भेजा गया।

कैमक 20 अगस्त, 1772 को कुंडा पहुँचा। अगले दिन उसने सिपाहियों की कुछ कम्पनियों को छोटानागपुर भेज दिया और स्वयं सीमा पर रूक गया कि असंतुष्ट जमींदारों और अन्य उपद्रवियों को मराठों से मिलने से रोका जा सके। टोरी के राजा ने मराठों को पार तो होने दिया था, किन्तु स्वयं अलग रहा था। अतः झंझट घटाने की दृष्टि से कैमक ने उसे कुछ नहीं कहा। सितंबर के प्रथम सप्ताह में मराठे पालकोट के निकट एकत्रित हुए। कैमक द्वारा भेजी गयी टुकड़ी उनसे केवल 35 किलोमीटर दूर रह गयी थी। मराठों के सभी प्रवेश–मार्ग अवरूद्ध कर दिये गये थे। केवल बरवा राज्य स्थित घाट सुरक्षित रह गया था। दर्पनाथ का यह अधीनस्थ मराठों से मिल गया था। सितंबर के मध्य में मराठों ने ले. थॉमस स्कॉट के शिविर पर हमला किया, किन्तु उन्हें मार भगाया गया। इनके कई लोग मारे गये और वे घटना–स्थल पर 16 घोड़े छोड़ गये। स्कॉट के 4 सिपाही घायल हुए और एक मुनादीवाला मारा गया। अब मराठे भाग खड़े हुए और स्कॉट ने उनका पीछा किया। उनका काफी साज–सामान उसी घटवाल ने लूट लिया जिसने उन्हें छोटानागपुर में प्रवेश करने दिया था। लेकिन वे ठाकुर गुलाब सिंह को जिसे दर्पनाथ ने उनके पास भेजा था, अपने साथ पकड़ कर ले गये। वे मुकुन्द सिंह साहनी को भी जिसने उन्हें छोटानागपुर में लाने में प्रमुख भूमिका निभायी थी, अपने साथ लेते गये।

दर्पनाथ शाह के अधीनस्थ राजागण भी उससे असंतुष्ट थे। रामगढ़ राजा तथा कोलहन के ही लोगों द्वारा शुरू की गयी गड़बड़ी के बाद उन्होंने दर्पनाथ को कुछ भी नहीं दिया था। मराठा–आके बाद उन्होंने दर्पनाथ को कुछ भी नहीं दिया था। मराठा–आक्रमणों से ये और भी स्वतंत्र हो गये। टोरी, तमाड़ तथा बरवा के राजाओं ने उसका खुलेआम विरोध किया। किन्तु अत्यधिक कष्ट सिल्ली के राजा ने दिया। उसने न केवल दर्पनाथ की सत्ता को नकारा, बल्कि उसने रामगढ़ राजा के इलाकों पर भी हमले किये और सरकार के एक अधिकारी स्टिटली का भी सामान लूट लिया। इसलिए कैमक को उसके विरूद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। जनवरी, 1773 ई. के प्रारंभ में उसने सिल्ली राजा के विरूद्ध सिपाहियों के दो दल भेजे किन्तु उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन सिपाहियों से सिल्ली–निवासियों के कई मुकाबले हुए जिनमें एक सिपाही मारा गया और 15वीं बटालियन का एक सिपाही घायल हुआ। कैमक की निजी टुकड़ी के सात सिपाही भी घायल हुए। सिल्ली वालों के नुकसान का पता न चल सका। उनके हथियार मुख्यतः तीर–धनुष थे, किन्तु वे अतयंत हिम्मतवाद लोग थे और रामगढ़ क्षेत्र के किन्हीं भी अन्य लोगों से अधिक उत्साही थे। राजा ने अपने परिवार तथा धन को बाघमुण्डी भेज दिया था जहाँ के अनेक जमींदार उसकी सहायता कर रहे थे। कैमक ने ले. थॉमस स्कॉट को एक अन्य सैन्य–दल के साथ भेजा, लेकिन वह भी राजा को न पकड़ सका। किन्तु कुछ समय बाद राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह उसके ब्रिटिश समर्थक एक संबंधी ठाकुर जगमोहन सिंह की मध्यस्था से संभव हुआ था। सिल्ली राजा जगमोहन सिंह के साथ आकर कैमक से मिला। फलस्वरूप उसके विरूद्ध अभियानरत ले. कैम्पबेल पटना वापस चला गया।

उपर्युक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त दर्पनाथ स्वयं भी कम्पनी को राजस्व अदायगी का बहुत इच्छुक नहीं था। कैमक के समक्ष आत्मसमर्पण करते समय उसने कई इलाकों के वापस किए जाने की माँग की थी जिन पर रामगढ़ राजा ने उन दिनों कब्जा कर लिया था जब छोटानागपुर का कर उसके मार्फत दिया जाता था। किन्तु पटना काउंसिल द्वारा उन इलाकों के वास्तविक मालकियत का निर्णय न हो सका और दर्पनाथ को कहा गया कि वह अपना दावा छोड़ दे। किन्तु जब रामगढ़ पर कम्पनी का कब्जा हो गया दर्पनाथ ने अपनी बात पुनः दुहरायी। जब कभी कैमक राजस्व की माँग करता, दर्पनाथ उन इलाकों को वापस किये जाने की बात करता। उसका कहना था कि राजस्व में वृद्धि के लिए वह इस शर्त पर तैयार हुआ था कि वे इलाके उसे वापस मिल जायेंगे। कैमक का कहना था कि इस शर्त के मानने की स्थिति में भी और न दर्पनाथ यह शर्त रखने की स्थिति में था। कैमक के सभी तर्कों के बावजूद दर्पनाथ ने फरवरी, 1773 ई. के बाद कुछ भी नहीं दिया था। कैमक समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता था, विशेषतः इसलिए कि उसी ने पटना काउंसिल के पास दर्पनाथ की सिफारिश की थी और इस तरह उसके अच्छे व्यवहार के लिए किसी हद तक स्वयं जिम्मेवार था। दूसरी ओर रामगढ़ से खतरा समाप्त हो जाने के बाद अपने राज्य की दूसरी तथा अस्वास्थ्यकर आबोहवा के भरोसे दर्पनाथ राजस्व की अदायगी से कतरा रहा था। वस्तुतः उसने 1772 ई. का राजस्व भी नहीं दिया था। इसलिए कैमक

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

ने नागवंशी राज्य स्थित सजावल और सूबेदार को लिखा कि वे दर्पनाथ से बकाया राशि माँगे और न मिलने पर सिपाही भेजे। इस बीच दर्पनाथ शाह कुछ दूर हट गया था और उसने कहा कि सजावल तथा सिपाहियों को वापस बुलाये बिना वह कुछ नहीं देगा। पुनः उसके पास एक जमादार भेजा गया किन्तु दर्पनाथ ने धमकानेवाली भाषा का प्रयोग किया और सिपाहियों को हटा लेने का आदेश दिया। उसने सिपाहियों का रसद–पानी बंद कर उन्हें अपने आदमियों से पूरी तरह घेर लिया। ठाकुर रामराज सिंह ने जिसका परिवार राजा तथा कम्पनी के बीच के राजस्व मामलों को देखता था, राजा को समझाने की कोशिश की, किन्तु उसका प्रयास व्यर्थ गया। कैमक जानता था कि वर्षा ऋतु के अंत तक राजा कुछ नहीं देगा क्योंकि उसके विरूद्ध बरसात में सैनिक भेजना कठिन था। पटना काउंसिल ने उसे लिखा कि मौसम अनुकूल होते ही दर्पनाथ से बकाया की वसूली होनी चाहिए और भविष्य में भी नियमित अदायगी के लिए गारंटी मिलनी चाहिए। वसूली का काम अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किया जाना चाहिए जिसमें कि वसूली के लिए बार–बार फौज न भेजनी पड़े। इस आदेश के अनुसार कैमक ने ले. रिचर्ड फेनेल को सिपाहियों की तीन चार कम्पनियों के साथ दर्पनाथ के विरूद्ध भेजा। बाहरी तौर पर उद्देश्य था सर्वेक्षण के कार्य को आगे बढ़ाना, किन्तु वास्तविक उद्देश्य था दर्पनाथ से बकाया राजस्व प्राप्त करना। फेनेल को कहा गया था कि उतनी छोटी टुकड़ी लेकर वह दर्पनाथ से भिड़ने के बजाय शांतिपूर्ण ढंग से मामले को सुलझा ले। फेनेल नागवंशी राज्य में सितंबर से दिसंबर 1773 ई. तक रहा, किन्तु उसे एक पेसा भी वसूलने अथवा दर्पनाथ को दबाने में सफलता नहीं मिली। अतः दिसंबर 1773 ई. के आरंभ में कैमक ने स्वयं दर्पनाथ के विरूद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया। उस बीच दर्पनाथ ने अपनी पूरी फौज एक पहाड़ के पास एकत्रित कर ली थी। वह कैमक को जनवरी, 1774 ई. तक अदायगी का झूठा आश्वासन देता रहा। फलस्वरूप कैमक ने 18 जनवरी, 1774 ई. को उस पर हमला कर उसकी फौज को बिखेर दिया। बाध्य होकर दर्पनाथ ने अपने दीवान के हाथों फरवरी, 1774 ई. के आरंभ में बकाया राजस्व भेज दिया। सिल्ली, बरवा और बुन्डू ने राजाओं ने काफी समय से दर्पनाथ को कुछ भी नहीं दिया था। अतः कैमक ने सिफारिश की कि अगले तीन वर्षों तक पहले वाली मामूली रकम ही राजस्व के रूप में ली जाय। कलकत्ता काउंसिल ने 3 मई, 1774 ई. को उसकी मंजूरी दे दी। किंतु उस समय तक कलकत्ता काउंसिल को पूर्ण विश्वास हो गया था कि राजस्व–वसूली का काम कैमक जैसे सैनिक अधिकारी के जिम्मे न छोड़कर किसी नागरिक पदाधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। गवर्नर–जनरल की काउंसिल के एक सदस्य फिलीप फ्रांसिस का स्पष्ट विचार था कि किसी देश को दबाये रखने के लिए फौजी कमान और उस देश से राजस्व–वसूली का काम एक–दूसरे से सर्वथा भिन्न थे। कैमक की देख–रेख वाले प्रदेश की शांति के लिए वह एक नागरिक कलक्टर की बहाली जरूरी समझता था, यद्यपि वह रामगढ़ बटालियन के हटाये जाने के पक्ष में नहीं था। बल्कि वह नागरिक कलक्टर की सहायता के लिए इसे बनाये रखना जरूरी समझता था। उसे तरह कलकत्ता काउंसिल ने रामगढ़, पलामू तथा नागपुर से राजस्व–वसूली के लिए एस. जी. हिटली की नियुक्ति की। कैमक को उसे मार देने का आदेश दिया गया। एस. जी. हिटली ने नवंबर, 1775 ई. के मध्य में पदभार ग्रहण किया।

छोटानागपुर क्षेत्र में उपर्युक्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन के बावजूद दर्पनाथ ने कर देना बंद रखा। फलस्वरूप नवंबर, 1776 ई. के उत्तरार्द्ध में रामगढ़ बटालियन के प्रभारी बी. ऐश ने उसके विरूद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया। किन्तु गवर्नर जनरल की सलाह पर कलकत्ता काउंसिल ने बी. ऐश. को लिखा कि वह दर्पनाथ से शांतिपूर्वक निपटने का प्रयास करे। अंततः कलकत्ता काउंसिल के 29 नवंबर, 1776 ई. के पत्र के आलोक में बी. ऐश ने दर्पनाथ के खिलाफ अपना प्रस्तावित अभियान स्थगित कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. विद्यार्थी, एल. पी. : बिहार के आदिवासी, पटना, 1940।
2. वर्मा, एम. पी. और राय, बी. के. : द ट्राइब्स कल्चर ऑफ इण्डिया, दिल्ली, 1977।
3. चक्रवर्ती, पी. बी.; छोटानागपुर राज : एक ब्रीफ स्केच, इलाहाबाद, 1935।
4. चौधरी एन. सी. : मुंडा सोशल स्ट्रक्चर, कलकत्ता 1977।
5. अटल योगेश : आदिवासी भारत, एस. सी. दुबे राजकमल, नई दिल्ली, 1965।
6. अहमद, जिया उद्दीन : बिहार के आदिवासी।
7. वर्मा, उमेश प्रसाद : बिहार का जनजातीय जीवन, वाराणसी, 1991।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved